(12)

संख्या– 558(1)/VIII/11–34(श्रम)/2009

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त, ,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून, दिनांक 22 जून, 2011

विषय–श्रम न्यायालय हरिद्वार के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1153/बजट–15/मु0/2011, दिनांक 03.05.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम न्यायालय हरिद्वार के कार्यालय भवन–निर्माण हेतु टी०ए०सी० वित्त द्वारा स्वीकृत/संस्तुत लागत ₹ 89.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में **₹ 54,33,000/– (₹ चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मित्तव्ययता नितांत आवश्यक है, मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज़ रूल्स एवं मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक **31–3–2012** तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

क्रमशः पेज 2 पर.....

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 4216–आवास पर पूंजीगत् परिव्यय, 80–सामान्य, आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय की मानक मद संख्या 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 558 (1)/VIII/11–34(श्रम)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरिद्वार।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल/हल्द्वानी।
6– परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि०, ऋषिकेश।
7– निजी सचिव, मा० श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या– /VIII/11–34(श्रम)/2009, दिनांक जून, 2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत वर्ष 2009–10	वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवमुक्त की गयी कुल धनराशि	वर्ष 2011–12 में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
श्रम न्यायालय, हरिद्वार के कार्यालय भवन–निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश।	89.33	35.00	54.33
	योग :–	89.33	35.00	54.33

(धनराशि ₹ चौवन लाख तैंतीस हजार मात्र)

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।